सीएसआईआर- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

सं.SO/E-III/Misc./2020-कोविड

दिनांक: 19.04.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) प्रातः 05:00 बजे से दिनांक 03.05.2021 (सोमवार) प्रातः 05:00 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा बाबत्।

संदर्भ: 1 राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश सं. क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 18.04.2021

संदर्भ: 2 परिषद् मुख्यालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 5-1(17)/2008-पीडी दिनांक 19.04.2021

राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त संदर्भित आदेश दिनांक 18.04.2021 के अनुसार दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) प्रातः 5.00 बजे से दिनांक 03.05.2021 (सोमवार) प्रातः 5.00 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बन्द रहेंगे। इन आदेशो की कड़ाई से अनुपालना करने, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संदर्भ में परिषद् मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 5-1(17)/2008-पीडी दिनांक 19.04.2021 के तहत प्राप्त दिशानिर्देश, संस्थान की समय लक्षित परियोजनाओं को जारी रखने एवं संस्थान की आवश्यक सेवाओं के संचालन व संस्थान व आवासीय कॉलोनी के एक ही परिसर में होने को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक महोदय के अनुमोदन से लिए गए निर्णय निम्नवत हैं:-

1. संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक व तकनीकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारी संस्थान में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे;
2. सामान्य प्रशासन (प्रशासन, वित्त एवं लेखा व भण्डार एवं क्रय आदि) के अनुभाग अधिकारी व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होंगे;
3. उपरोक्त 1 व 2 के अधिकारी अपने अधीनस्थ सहकर्मियों में से कम से कम सहकर्मियों (50% तक) को आवश्यकतानुसार रोटेशन के आधार पर कार्यालय में बुलाएंगे। सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ सहकर्मियों को घर से काम करने (work from home) हेतु प्रोत्साहित करेंगे तथा वे सभी सहकर्मी आवश्यकतानुसार फोन पर उपलब्ध रहेंगे;
4. संस्थान के सहकर्मियों की उपस्थिति हेतु संचालित एफआरएएस इस संबंध में अगले आदेश तक स्थगित रहेगी;
5. संस्थान में कार्यरत परियोजना स्टाफ/एसीएसआईआर के छात्र/पीएचडी छात्र व अप्रेन्टिस आदि दिनांक 30.04.2021 तक संस्थान में उपस्थित नहीं होंगे;
6. संस्थान में कार्यरत संविदा कर्मियों को केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही बुलाया जाएगा;
7. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष दिनांक 19.04.2021 से 30.04.2021 तक बुलाए जाने वाले सहकर्मियो का रोस्टर तैयार कर प्रशासनिक अधिकारी ॥ के कार्यालय में भिजवाएं व इसकी एक प्रति सुरक्षा अधिकारी को आवश्यक रूप से भिजवा दें;

19/04/21

8. संस्थान की विभागीय कैंटीन द्वारा राउण्ड की चाय / कॉफी आदि सभी सुरक्षा उपायों के साथ जारी रहेगी। कैंटीन से लंच / डिनर आदि की आपूर्ति टेक-अवे (Take away) के अनुसार की जाएगी;
9. रोकथाम जोन (Containment Zone) में निवास करने वाले सहकर्मियों / संविदा कर्मियों / श्रमिकों का संस्थान/कॉलोनी परिसर में आना प्रतिबंधित होगा;
10. संस्थान परिसर व कॉलोनी में अनावश्यक भीड़ न होने देना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना व मास्क पहनना पूर्णतया अनिवार्य होगा;
11. कॉलोनी परिसर में खाद्य पदार्थ, किराने का सामान व साईकिल रिक्शा आदि की मरम्मत संबंधी दुकानें सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी;
12. सहकर्मियों व पेन्शनरों को चिकित्सा सलाह/उपचार हेतु डिस्पेन्सरी आने की अनुमति होगी।
13. कॉलोनी परिसर में दूध, बटर व ब्रैड आदि की सप्लाई जारी रहेगी। कॉलोनी परिसर का केवल मुख्य द्वार (शॉपिंग कॉम्पलेक्स) संस्थान व कॉलोनी में आने-जाने हेतु खुला रहेगा। कॉलोनी परिसर में स्थित दूध वाला गेट प्रातः 5.30 बजे से 6.30 बजे तक ही खुला रहेगा। संस्थान/कॉलोनी में बाहरी राज्यों से आने वाले कर्मियों व इनके परिवार जनों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR Test की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा अन्यथा इन कर्मियों एवं इनके परिवार जनों को यहां पहुचने के 72 घण्टे के अन्दर RT-PCR Test करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी सहकर्मी व इनके परिवारजन एक सप्ताह के लिए अपने-अपने घरों में आईसोलेशन में रहेंगे;
14. कॉलोनी परिसर में कार्यरत घरेलू श्रमिकों को उनके पहचान पत्र के अनुसार कॉलोनी परिसर में आने जाने की अनुमति होगी। तथापि वे सभी श्रमिक समय सीमा की अनुपालना करेंगे।

कोरोना महामारी की रोकथाम एवं आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु निदेशक महोदय द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में सभी सहकर्मियों/कॉलोनीवासियों का सहयोग प्रार्थनीय है।

यह कार्यालय ज्ञापन निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(महेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव
2. सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमुखों को ई-मेल के माध्यम से
3. सुरक्षा अधिकारी, सीएसआईआर-सीरी
4. आवासीय चिकित्सा अधिकारी, सीरी डिस्पेंसरी
5. संस्थान के सभी सूचना पट्ट एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
6. प्रभारी, एनएमसी - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे सभी की सूचनार्थ संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दें
7. संबंधित फाइल